सचिव, खान एवं भूतत्व विभाग की अध्यक्षता में दिनांक–09.06.2026 को अपराह्न 01:00 बजे से सभी जिलों के क्षेत्रीय पदाधिकारियों के साथ VC के माध्यम से सम्पन्न समीक्षात्मक बैठक की कार्यवाही।

उपस्थितिः– VC के माध्यम से।

सचिव, खान एवं भूतत्व विभाग, बिहार, पटना द्वारा VC के माध्यम से उपस्थित सभी जिलों के क्षेत्रीय पदाधिकारियों का स्वागत करते हुए बैठक की कार्यवाही प्रारम्भ की गयी।

1. **पत्थर भूखण्डों की नीलामी की समीक्षाः–**

पत्थर भूखण्डों का यथाशीघ्र नीलामी कराने हेतु सभी संबंधित खनिज विकास पदाधिकारी को निम्न निदेश दिया गया :–

- जन सामान्य से प्राप्त आपत्ति/सुझाव का निराकरण कर प्रारूप DSR जिला पदाधिकारी के माध्यम से परीक्षण एवं मूल्यांकन हेतु SEAC को शीघ्र भेजा जाय।
- SEIAA, Bihar से DSR के अनुमोदन के उपरान्त यथाशीघ्र पत्थर भूखण्डों की बंदोबस्ती हेतु अग्रेत्तर कार्रवाई की जाय।
- पत्थर से संबंधित सभी जिलों के सहायक निदेशक/खनिज विकास पदाधिकारी को पत्थर ब्लॉकों का सम्यक चिन्हीकरण करने का निदेश दिया गया।
- पत्थर भूखण्डों के संबध में SEIAA द्वारा पूर्व में किये गये आपत्तियों एवं उनके कारणों से संबंधित चेक लिस्ट तैयार करने का निदेश दिया गया।

(अनुपालन :–सभी संबंधित सहायक निदेशक/खनिज विकास पदाधिकारी)

2. **Inter State Transit Pass (ISTP) की समीक्षाः–**

- समीक्षा के क्रम में पाया गया कि Inter State Transit Pass (ISTP) पोर्टल में अपेक्षाकृत कम संख्या में गाड़ियों का निबंधन कराया गया है और कई जिलों में निबंधन की संख्या शून्य है। सभी सहायक निदेशक/खनिज विकास पदाधिकारी को निदेश दिया गया कि ट्रांजिट पास का अधिक से अधिक प्रचार–प्रसार कराते हुए ISTP पोर्टल पर निबंधन कराना सुनिश्चित करें।
- ISTP पोर्टल में गाड़ियों के रजिस्ट्रेशन कराने में आ रही समस्याओं के निष्पादन हेतु मुख्यालय स्तर से एक Helpline Number 0612–2215360/9472238821 है। इस पर सम्पर्क कर समस्याओं का शीघ्र निराकरण करायें।

- सभी सहायक निदेशक / खनिज विकास पदाधिकारी को निदेश दिया गया कि दिनांक 10.06.2026 से ट्रांजिट पास की सघन जॉच करें।

(अनुपालन :–सभी सहायक निदेशक / खनिज विकास पदाधिकारी)

3. **सहयोग शिविर में प्राप्त होने वाले शिकायतों की समीक्षाः–**

सहयोग शिविर का अनुश्रवण उच्च स्तर पर किया जा रहा है। सहयोग शिविर में खान एवं भूतत्व विभाग से संबंधित प्राप्त आवेदनों का निष्पादन 10 दिनों के अंदर करने का निदेश सभी सहायक निदेशक / खनिज विकास पदाधिकारी को दिया गया। ससमय निष्पादन नहीं करने की स्थिति में संबंधित पदाधिकारी के विरूद्ध अनुशासनिक कार्रवाई की जाएगी।

(अनुपालन :–सभी संबंधित सहायक निदेशक / खनिज विकास पदाधिकारी)

4. **सेकेण्ड्री स्टोरेज के संबंध में समीक्षाः–**

ज्ञातव्य हो कि दिनांक 15.06.2026 से मानसून अवधि प्रारंभ होने वाला है। मानसून अवधि प्रारंभ होने से पूर्व बालूघाटों के सेकेण्ड्री स्टोरेज से संबंधित सभी आवश्यक कार्यों का निष्पादन करने का निदेश दिया गया ताकि दिनांक 16.06.2026 से सेकेन्ड्री लोडिंग स्थल से बालू के प्रेषण में कोई कठिनाई न हो।

(अनु0–सभी संबंधित सहायक निदेशक / खनिज विकास पदा0)

5. **अन्य महत्वपूर्ण बिन्दु :–**

(1) सभी सहायक निदेशक / खनिज विकास पदाधिकारी को निदेश दिया गया कि अवैध खनन / परिवहन एवं भंडारण के विरूद्ध की गयी कार्रवाई की प्रारंभिक सूचना कमांड एण्ड कंट्रोल सेन्टर को फोटोग्राफ के साथ देना सुनिश्चित करें।

(2) अवैध खनन, परिवहन एवं भण्डारण के विरूद्ध नियमित औचक निरीक्षण कराने एवं छापेमारी की संख्या बढ़ाने का निदेश दिया गया।

(अनुपालन :–सभी संबंधित सहायक निदेशक / खनिज विकास पदाधिकारी)

अन्त में धन्यवाद ज्ञापन के साथ बैठक की कार्यवाही समाप्त की गई।

ह0 / –

(अवनीश कुमार सिंह)

सचिव

सं0सं0:– 3808 / एम0, पटना, दिनांक :– 15/06/26

प्रतिलिपि :– सचिव के वरीय प्रधान आप्त सचिव / निदेशक कोषांग / अपर सचिव कोषांग / सभी सहायक निदेशक / सभी खनिज विकास पदाधिकारी (मु0 / क्षे0) / आई0टी0 प्रबंधक खान एवं भूतत्व विभाग को सूचनार्थ एवं विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।

15/06/26

सरकार के अपर सचिव